



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022023-243495
CG-DL-E-07022023-243495

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2023/माघ 17, 1944

No. 573]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2023/MAGHA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2023

का.आ. 602(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के हस्सान जिले में NH75 के कि.मी. 118.601 से कि.मी. 189.500 (कार्यालय विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएच-48 नेलमंगला हासन अनुभाग के आर एस अग्रहारा कुनिगल, तुमकुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल लैंड एक्विजिशन आफिसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के हस्सान जिले में NH75 के कि.मी. 118.601 से कि.मी. 189.500 (कार्यालय विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएच-48 नेलमंगला हासन अनुभाग के आर एस अग्रहारा कुनिगल, तुमकुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: हस्सान			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चन्नारायपटना					
गांव का नाम: चिक्कागोंडनाहल्ली					
1	76/1	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	1,010.0000000(वर्ग मीटर)	0.1010000
गांव का नाम: दोड्डामतीगट्टा					
1	205/2	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	151.0000000(वर्ग मीटर)	0.0151000
गांव का नाम: गुलासिंदा					
1	173/1	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	303.0000000(वर्ग मीटर)	0.0303000
2	175/8	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	1,111.0000000(वर्ग मीटर)	0.1111000
गांव का नाम: हिरीसेव					
1	189/8	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	101.0000000(वर्ग मीटर)	0.0101000
गांव का नाम: शेटीहल्ली					
1	119/1	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
2	119/2	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	506.0000000(वर्ग मीटर)	0.0506000
3	119/3	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	101.0000000(वर्ग मीटर)	0.0101000
4	126/41	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	446.0000000(वर्ग मीटर)	0.0446000
5	146/1	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	282.0000000(वर्ग मीटर)	0.0282000
6	146/4	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	404.0000000(वर्ग मीटर)	0.0404000
7	98/1	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	101.0000000(वर्ग मीटर)	0.0101000
8	98/2	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	151.0000000(वर्ग मीटर)	0.0151000
9	98/3	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	404.0000000(वर्ग मीटर)	0.0404000

10	98/4	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	404.0000000(वर्ग मीटर)	0.0404000
तालुक का नाम: हसन					
गांव का नाम: आडुहल्ली					
1	85/2	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	1,292.0000000(वर्ग मीटर)	0.1292000
कुल				6,969.0000	0.6969

[फा. सं. 1/3A3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2023

S.O. 602(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH75 in the stretch of land from Km. 118.601 to Km.189.500 (Office of the Special Land Acquisition Officer, NH-48 Nelamangla Hassan Section K R S Agrahara Kunigal, Tumkur) in the district of HASSAN in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH75 in the stretch of land from NH75 (Office of the Special Land Acquisition Officer, NH-48 Nelamangla Hassan Section K R S Agrahara Kunigal, Tumkur) in the district of HASSAN in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: HASSAN			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Channarayapatna					
Village: Chikkagondanahalli					
1	76/1	Private(Agriculture)	DRY	1,010.0000000(Square Meter)	0.1010000
Village: Doddamatigatta					
1	205/2	Private(Agriculture)	DRY	151.0000000(Square Meter)	0.0151000

Village: Gulasinda					
1	173/1	Private(Agriculture)	DRY	303.0000000(Square Meter)	0.0303000
2	175/8	Private(Agriculture)	DRY	1,111.0000000(Square Meter)	0.1111000
Village: Hirisave					
1	189/8	Private(Agriculture)	DRY	101.0000000(Square Meter)	0.0101000
Village: Shettihalli					
1	119/1	Private(Agriculture)	DRY	202.0000000(Square Meter)	0.0202000
2	119/2	Private(Agriculture)	DRY	506.0000000(Square Meter)	0.0506000
3	119/3	Private(Agriculture)	DRY	101.0000000(Square Meter)	0.0101000
4	126/41	Private(Agriculture)	DRY	446.0000000(Square Meter)	0.0446000
5	146/1	Private(Agriculture)	DRY	282.0000000(Square Meter)	0.0282000
6	146/4	Private(Agriculture)	DRY	404.0000000(Square Meter)	0.0404000
7	98/1	Private(Agriculture)	DRY	101.0000000(Square Meter)	0.0101000
8	98/2	Private(Agriculture)	DRY	151.0000000(Square Meter)	0.0151000
9	98/3	Private(Agriculture)	DRY	404.0000000(Square Meter)	0.0404000
10	98/4	Private(Agriculture)	DRY	404.0000000(Square Meter)	0.0404000
Taluk: Hassan					
Village: Addihalli					
1	85/2	Private(Agriculture)	DRY	1,292.0000000(Square Meter)	0.1292000
Total				6,969.0000	0.6969

[F. No. 1/3A3]

RAJESH GUPTA, Director